



दिनांक: 25.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई सहारनपुर पुलिस का अपराधियों पर करारा प्रहार हत्या के प्रयास में वांछित—02 अभियुक्त गिरफ्तार



घटना का विवरण:-

दिनांक 23.08.2026 को वादी श्री मेघराज पुत्र मोहन निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर की तहरीर बाबत विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर तथा लाठी डण्डो धारदार हथियारो व तमंचे से लैस होकर वादी व वादी के परिजनो के साथ हमलावर होकर मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करना व जान से मारने की नियत से फायर करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 424/26 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/131/115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम आज द्वारा दिनांक 25.08.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण सौरभ पुत्र मांगेराम व अर्जुन पुत्र महीपाल निवासीगण ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को नकुड़ बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सौरभ पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. अर्जुन पुत्र महीपाल निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सौरभ का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 15/2023 धारा 323, 498-A, 504, 506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 महिला थाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़, सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री धीरज तोमर थाना नकुड़, सहारनपुर
3. है0का0 1108 प्रदीप थाना नकुड़, सहारनपुर
4. रि0आ0 1672 शिवम थाना नकुड़, सहारनपुर
5. रि0आ0 1619 प्रिंस थाना नकुड़, सहारनपुर



दिनांक: 25.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैंकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैंकिंग व दबिश के दौरान वारंटी अभियुक्त छोटा पुत्र चमन निवासी ग्राम रण्डौल थाना बेहट जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 5887/22 सम्बन्धित मु0अ0सं0 262/06 धारा 323/324/504/506/452 भादवि चलानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर में ग्राम रण्डौल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

छोटा पुत्र चमन निवासी ग्राम रण्डौल थाना बेहट जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव थाना बेहट, सहारनपुर
2. हे0का0 619 हरेन्द्र सिंह थाना बेहट, सहारनपुर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

★  थाना कोतवाली मण्डी पुलिस की ताबडतोड़ कार्रवाई  हत्या के प्रयास में
वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद; घटना में प्रयुक्त

मोटरसाइकिल सीज

घटना का विवरण:-

दिनांक 20.08.2026 को वादी हाजी अल बख्श पुत्र श्री तनवीर निवासी आजाद कॉलोनी, थाना मंडी, जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात बाईक सवार अभियुक्त द्वारा वादी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0- 432/2026 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1. मौ0 अब्दुल्ला पुत्र हाजी रहीश अहमद निवासी निसार रोड रायावाला थाना मण्डी सहारनपुर, 2. अरहम उर्फ टुर्ग पुत्र नूर इस्लाम निवासी लुहानी सराय निकट एक मीनार मस्जिद थाना कुतुबशेर सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया है।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व हत्या, लूट, डकैती आदि की रोकथाम हेतु की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान उपरोक्त मुकदमें में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. मौ0 अब्दुल्ला पुत्र हाजी रहीश अहमद निवासी निसार रोड रायावाला थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 2. अरहम उर्फ टुर्ग पुत्र नूर इस्लाम निवासी लुहानी सराय निकट एक मीनार मस्जिद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बजाज पल्सर एन-150 रजि न0 UK08BE9930 को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मौ0 अब्दुल्ला पुत्र हाजी रहीश अहमद निवासी निसार रोड रायावाला थाना मण्डी जनपद सहारनपुर,
2. अरहम उर्फ टुर्ग पुत्र नूर इस्लाम निवासी लुहानी सराय निकट एक मीनार मस्जिद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर,
- 02 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 1233 विपिन कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. है0का0 848 कपिल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
5. का0 2528 अनिल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
6. का0 1570 रवि कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25/08/2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22/08/26 को वादिया द्वारा थाना गंगोह पर तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा सहारनपुर वादिया की पुत्री को आत्महत्या के लिये उकसाना जिस कारण वादिया की पुत्री के द्वारा आत्महत्या करना तथा अभियुक्तगण द्वारा वादिया के साथ गाली गलौच करना तथा जान से मारने की धमकी देना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0 408/2026 धारा 108/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु बालिकाओं तथा महिलाओं सम्बन्धी अपराध के लिए वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त मुकदमें कार्यवाही करते हुये 02 वांछित अभियुक्तगण 1. **अभिषेक कुमार उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र जसवीर सिंह निवासी ग्राम बिलासपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम सहाराजपुर मोड़ 2. **मोनू उर्फ अरुण पुत्र नानू राम निवासी ग्राम बिलासपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम ततारपुर जाने वाले से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अभिषेक कुमार उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र जसवीर सिंह निवासी ग्राम बिलासपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मोनू उर्फ अरुण पुत्र नानू राम निवासी ग्राम बिलासपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री इन्द्रेश चौहान थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सोहनवीर सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री रानू चौधरी थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
7. है0का0 259 दीपक सागर थाना गंगोह जिला सहारनपुर
8. रि0का0 930 अनुप कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
9. रि0का0 980 विशाल कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
10. रि0का0 987 सनोज कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक- 25.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा **वारण्टी अभियुक्त** को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेंकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चेंकिंग व दबिश के दौरान **वारण्टी अभियुक्त विकास पुत्र प्रदीप निवासी कौलकी राघड थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0-9560/23 मु0अ0सं0 504/19 धारा 279,338,427 भादवि चालानी थाना चिलकाना न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर नियत तिथि 17.09.26 को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

विकास पुत्र प्रदीप निवासी कौलकी राघड थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. रि0आ0 623 सोनू कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 25.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश
थाना नकुड व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ लूट के मुकदमें में
01 वांछित अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01
जिंदा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर, लूटे गये 10,000/- रुपये , 01 आधार कार्ड
एवं घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, गोकशी, हत्या, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 25.08.2026 की प्रातः को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा फंदपुरी -नकुड़ रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी। तभी ग्राम जलालपुर की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखायी दिया। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर मोटरसाइकिल सवार को रोक कर पूछताछ करने का प्रयास किया गया। परंतु मोटरसाइकिल सवार द्वारा मोटरसाइकिल मोड़कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर हड़बड़ी में तेज गति से वापिस ग्राम जलालपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने के प्रयास में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश/अभियुक्त को गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश /अभियुक्त की पहचान मौहम्मद अली पुत्र नसीर निवासी ग्राम मल्ला माजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर के रूप में हुई, घायल बदमाश/अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया घायल/गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर, लूटे गये 10,000/- रुपये, 01 आधार कार्ड एवं घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढौतरी की गयी तथा अभियुक्त मौहम्मद उपरोक्त बरामदगी तथा मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 431/26 धारा 109(1) भा0न्या0सं0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

मौहम्मद अली पुत्र नसीर निवासी ग्राम मल्हामाजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 321/17 धारा 13 जुआ अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 885/19 धारा 3/4 दहेज अधि0 , 323/498ए/504 भादवि व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधि0 थाना गंगोह सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 335/22 धारा 380/411 भादवि थाना नकुड़ सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 336/22 धारा 380/411 भादवि थाना नकुड़ सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 324/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना नकुड़ सहारनपुर

6. मु0अ0सं0 328/23 धारा 414 भादवि व 4/25 आम्स एक्ट थाना नकुड सहारनपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड,सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री राजीव कुमार सक्सेना प्रभारी एसओजी सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार थाना नकुड,सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री नीरज कुमार प्रभारी स्वाट टीम सहारनपुर,
5. है0का0 999 राजकमल थाना नकुड,सहारनपुर
6. है0का0 412 शाहरुन थाना नकुड,सहारनपुर
7. का0 1220 मनीष कौशिक थाना नकुड,सहारनपुर
8. रि0का0 1681 विनीत कुमार थाना नकुड,सहारनपुर
9. रि0का0 1609 सचिन कुमार थाना नकुड,सहारनपुर
10. हे0का0 81 हरेंद्र कुमार स्वाट टीम सहारनपुर
11. हे0का0 578 जोगेन्दर स्वाट टीम सहारनपुर
12. हे0का0 1016 मनदीप स्वाट टीम सहारनपुर



दिनांक: 25.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**★ थाना नानौता पुलिस की प्रभावी कार्रवाई गैरइरादतन हत्या के प्रयास में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार **

अवगत कराना है कि दिनांक 20.08.2026 को वादी सन्दीप पुत्र कुलवीर निवासी ग्राम फतेहपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर की तहरीर बावत वादी के भाई व भाभी के साथ गाली गलौच कर ईंट तथा डण्डे से मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 207/26 धारा 352, 115(2), 351(3) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 110 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नानौता श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2026 को थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **विजय पुत्र भाग सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर** को मित्रगढ तिराहा, कस्बा नानौता से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विजय पुत्र भाग सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विकास चारण थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बिजेन्द्रपाल सिंह कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक 25.08.2026

-प्रेस नोट-

**🚓 ⚡ थाना सरसावा पुलिस व खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई 🚗 🚔 अवैध खनन
पर सहारनपुर पुलिस का शिकंजाचेकिंग के दौरान बिना वैध प्रपत्रों के अवैध खनन —
सामग्री से भरे 03 डम्पर सीज 🚔 📄 🔥**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा खनन अधिकारी सहारनपुर तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा व खनन परिवहन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 24.08.2026 को चेकिंग के दौरान बिना खनन सम्बन्धी वैध प्रपत्र के खनन परिवहन करते हुए 03 डम्पर को सीज किया गया।

कार्यवाही किये गये वाहनों का विवरण –

1. गाडी नम्बर HR 58 E 5385
2. गाडी नम्बर HR 58 E 4325
3. गाडी नम्बर HR 58 C 4198

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र पाल तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. खनन निरीक्षक श्री अभिलाष सिंह सहारनपुर जनपद सहारनपुर
4. है0का0 532 ऋषिपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 2225 रंगेश चौधरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. रि0का0 2477 अरविन्द कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

इस कार्यवाही का उद्देश्य जनपद सहारनपुर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं नियमविरुद्ध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाए रखना है।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 25-08-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

★ **☎** **📍** **थाना नांगल पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई- मात्र 12 घण्टे के अन्दर अनावरण**
📱 **🔒** **ढगी कर मोबाइल चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार —05 मोबाइल फोन,**
04 ATM कार्ड, अवैध चाकू व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद **📱** **📱** **🔒** **🔒**

घटना का विवरण:

दिनांक 24.06.2026 को वादी श्री अशोक कुमार टावरी निवासी मुख्य बाजार कस्बा व थाना नांगल जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं को गूगलपे का प्रतिनिधि बताकर तथा झांसे में लेकर वादी की दुकान से 01 मोबाइल फोन रियलमी C20 को चोरी कर जाने के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 252/26 धारा 318(4)/319(2)/303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन चोरी, लूट, नकबजनी घटनाओं जैसे अपराध की रोकथाम हेतु वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना का मात्र 12 घण्टे के अन्दर अनावरण करते हुये अभियुक्तगण 1. गुरप्रीत सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम मुंडिया थाना जमालपुर जिला लुधियाना (पंजाब) 2. गुलशन कुमार उर्फ आशू पुत्र सतपाल निवासी डाबा थाना डाबा जिला लुधियाना (पंजाब) को ग्राम खजूरवाला को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 05 मोबाइल फोन, विभिन्न बैंकों के 04 एटीएम, 01 अवैध चाकू तथा चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया गया कि हम स्वयं को गूगलपे का प्रतिनिधि बताकर लोगो/दुकानदारों के साथ ढगी करते हैं तथा मौका मिलते ही दुकान से मोबाइल/अन्य सामान चोरी करके भाग जाते हैं। दिनांक 24.08.26 को भी हमने कस्बा नांगल बाजार से एक मोबाइल की दुकान से मोबाइल चोरी किया था। हम उस मोबाइल से अपने खाता में पैसे ट्रान्सफर कर रहे थे कि पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम मुंडिया थाना जमालपुर जिला लुधियाना (पंजाब)
2. गुलशन कुमार उर्फ आशू पुत्र सतपाल नि0 डाबा थाना डाबा जिला लुधियाना (पंजाब)

बरामदगी का विवरण:-

- 05 मोबाइल फोन
- विभिन्न बैंकों के 04 अदद एटीएम कार्ड
- 01 अवैध चाकू
- चोरी की 01 मोटरसाइकिल पैंशन प्रो रजि0 नं0 BR 03X 1880

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव थाना नांगल सहारनपुर
2. उ0नि0 नवीन जयन्त थाना नांगल सहारनपुर
3. है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नांगल सहारनपुर
4. रि0का0 1546 विशेष कुमार थाना नांगल सहारनपुर
5. का0 2556 विशाल बाबू थाना नांगल सहारनपुर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमें में 01 वांछित
अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 22.08.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त साद पुत्र कासिम निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 307/26 धारा 69 बीएनएस का पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष चिलकाना श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त साद पुत्र कासिम निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को धौलाहेडी के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2)(M)/333/351(2) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा धारा 69 बीएनएस का विलोपन किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

साद पुत्र कासिम निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1107 अरविन्द कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. रि0का0 572 गुरमीत सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश **सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना फैलाकर शान्ति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने** **का प्रयास, नकुड़ पुलिस ने फेसबुक अकाउंट के विरुद्ध की कार्रवाई**

अवगत कराना है कि सहारनपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक, तथ्यहीन एवं सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने वाली पोस्ट/सूचनाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक **23.08.2026** को थाना नकुड़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम **घाटमपुर** में दो पक्षों के मध्य विवाद हुआ था। उक्त प्रकरण में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा तत्काल आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर **मु0अ0सं0 429/2026**, धारा **333/131/115(2)/76/351(3)** बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ कर दी गई थी।

उक्त घटना के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म **फेसबुक** पर '**24CityNews**' नामक अकाउंट द्वारा ग्राम घाटमपुर में **हिन्दू परिवारों के पलायन के संबंध में भ्रामक एवं तथ्यहीन खबर प्रसारित** की जा रही थी। प्रथम दृष्टया उक्त पोस्ट के माध्यम से सामाजिक वैमनस्यता उत्पन्न कर **शान्ति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास** किया जा रहा था, जिससे क्षेत्र में अनावश्यक तनाव एवं अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने की आशंका थी।

प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ श्री **ज्ञानेश्वर बौद्ध** द्वारा दिनांक **25.08.2026** को उक्त '**24CityNews**' फेसबुक अकाउंट के विरुद्ध धारा **353(2)** बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री एवं उससे संबंधित तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में प्रकाश में आने वाले सभी संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सहारनपुर पुलिस की अपील

आमजन से अपील है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी समाचार अथवा सूचना को बिना सत्यापन के विश्वास न करें और न ही उसे आगे प्रसारित करें। भ्रामक एवं तथ्यहीन सूचनाओं के प्रसार से सामाजिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है तथा ऐसा कृत्य कानून के अन्तर्गत दण्डनीय है।

सहारनपुर पुलिस शान्ति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही !!

**थाना सरसावा पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर
गिरफ्तार, कब्जे से 19.70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नशा तस्करो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1.आजम पुत्र नाजिम निवासी मौ0 हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर 2.जीशान पुत्र फैजान नि0 मौ0 हरिजनान हाल पता मौ0 पश्चिमी अफगानान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को भिक्कनपुर चौराहे से छाप्पुर रोड शीशम के पेड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 19.70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 279/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. आजम पुत्र नाजिम निवासी मौ0 हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
2. जीशान पुत्र फैजान नि0 मौ0 हरिजनान हाल पता मौ0 पश्चिमी अफगानान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 19.70 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्रपाल तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 384 अनित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. का0 2225 रंगेश चौधरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5. रि0का0 2290 कासिम अहमद थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
6. रि0का0 160 चंद्रवीर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 23 किलो 314 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नशा तस्करो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी अभियान के क्रम में **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2026 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण **1. अनमोल पुत्र देवकुमार निवासी मौ० चौधरीयान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर 2. शुभम पुत्र अजय कुमार निवासी मौ० दुर्गा कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को हाईवे पुल नकुड़ रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 23 किलो 314 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 278/2026 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. अनमोल पुत्र देवकुमार निवासी मौ० चौधरीयान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. शुभम पुत्र अजय कुमार निवासी मौ० दुर्गा कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 23 किलो 314 ग्राम अवैध डोडा पोस्त

अभियुक्त अनमोल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 176/2024 धारा 303(2)/317(2)/336(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर।
2. मु०अ०सं० 107/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर।
3. मु०अ०सं० 278/2026 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर।

अभियुक्त शुभम का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 113/2022 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा सहारनपुर।
2. मु०अ०सं० 139/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर।

3. मु0अ0सं0 003/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 098/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 113/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर ।
6. मु0अ0सं0 278/2026 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री रविंद्र कसाना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 760 गुड्डू तंवर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
4. का0 2223 दुर्गेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
5. रि0का0 2571 दीपक कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।